रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 1, 2006/चैत्र 11, 1928

No. 140] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 1, 2006/CHAITRA 11, 1928

कम्पनी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2006

सा.का.नि.202(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 637क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), तारीख 26 जुलाई, 2001 में प्रकाशित तत्कालीन विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) में, भारत सरकार की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 555(अ), तारीख 26-7-2001 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के खण्ड (i) में,—

(i) उप-खण्ड (क) की मद (vii) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परन्तु वे निधि कंपनियां, जिन्होंने अधिसूचना के सभी उपबंधों का अनुपालन किया है, बीमा दलालों, लॉकर प्रदाताओं के रूप में और इस संबंध में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रहते हुए विनियामक प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से सदस्यों को सलाहकारी सेवाएं प्रदान करने का कारबार कर सकेगी :

परन्तु यह और कि बंधक और आभूषण "ऋण से उनकी सकल आय, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय पर सकल आय के 80% से कम नहीं होगी";

(ii) उप-खण्ड (घ) की मद (i) के पहले परंतुक में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"सारणी

निक्षेपों में शुद्ध स्वामित्वाधीन निधि का अनुपात (31-3-2001 के अनुसार)	तारीख, जिस तक कंपनी द्वारा 1 : 20 की विहित अधिकतम सीमा को प्राप्त करना अपेक्षित था	विस्तारित की गई वह तारीख, जिस तक कंपनी द्वारा निर्धारित 1 : 20 की अधिकतम विहित सीमा प्राप्त की जानी है
(1)	(2)	(3)
(क) 1 : 20 से अधिक किन्तु 1 : 25 तक	31-3-2004 तक	31-03-2007 तक

(1)	(2)	(3)
(ख) 1 : 25 से अधिक किन्तु 1 : 40 तक	31-3-2005 तक	31-03-2007 तक
(ग) 1 : 40 से अधिक किन्तु 1 : 80 तक	31-3-2006 तक	31-03-2007 तक
(घ) 1 : 80 से अधिक एवं उससे अधिक	31-3-2007 तक	31-03-2007 तक"

(iii) उप-खण्ड (ङ) की मद (ग) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—नये "निक्षेपकर्ताओं का परिचय और दस्तावेजी साक्ष्य" के अंतर्गत गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों द्वारा निक्षेप स्वीकार किए जाने से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विहित अपने ग्राहक मानकों को जानने के संबंध में लागू सभी मानदण्ड सम्मिलित होंगे।"

(iv) उप-खण्ड (छ) में "क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"या डाक घर निक्षेप, जो निधि कंपनी के नाम से हो तथा किसी व्यक्ति के नाम पर न हो ;"

(v) उप-खण्ड (ज) की मद (ii) में 'सादे सात प्रतिशत' शब्दों के स्थान पर "पांच प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(vi) उप-खण्ड (झ) में,—

(क) मद (i) की, उप मद (अ) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(अ) किसी व्यक्ति को दस वर्ष से अधिक की निरन्तर अवधि के लिए निदेशक के रूप में नहीं रखेगा;

स्पष्टीकरण :—निदेशक के रूप में दो वर्ष से कम की अवधि के निरन्तर सेवा-भंग को निरन्तर पद धारण किया गया माना जायेगा :

परन्तु जहां किसी विनिदेशक का कार्यकाल नियामक प्राधिकरण द्वारा पहले ही विस्तारित किया गया हो, वहां वह ऐसे विस्तारित कार्यकाल के अवसान पर समाप्त हो जायेगा।"

(ख) पैरा (iii) के परंतुक में ; "उस पर ब्याज" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे :—

"यदि कम्पनी ने विनियमों के अनुसार उपबंध नहीं किया है जिसके अंतर्गत समय-अनुसूची भी है और /या कम्पनी ने निक्षेपों में शुद्ध स्वामित्वाधीन निधि के विहित अनुपात को प्राप्त नहीं किया हो।"

(ग) मद (vi) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्।

"(vii) ऐसे किसी व्यक्ति या फर्म की, जिसकी नियुक्ति पांच वर्ष की लगातार अवधि के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में की गई हो, सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में पुनर्नियुक्ति नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण : फर्म के अंतर्गत उसी फर्म का कोई भागीदार या उस फर्म का कोई सहयुक्त चाहे उस हैसियत में या किसी अन्य व्यष्टिक हैसियत में हो, भी है।"

[फा. सं. 4/6/2004-सीएल-VI]

वाई. एस. मलिक, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 555(अ), तारीख 26 जुलाई, 2001 को प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् सं. सा.का.नि. 308(अ), 384 (अ),सा.का.नि. 408(अ) तथा सा०का०नि० 775(अ), तारीख 30-4-2002, 29-5-2002, 31-5-2002 तथा 29-9-2003 द्वारा क्रमश: उसमें संशोधन किए गए ।

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2006

G.S.R. 262(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 637A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Notification of the Government of India, the erstwhile Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Company Affairs) No. G.S.R. 555(E),

dated 26-7-2001, published in the Gazette of India, in Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 26th July, 2001, namely :—

In the said notification, in clause (1),—

(i) in sub-clause (a), in item *(vii)*, the following provisos shall be inserted, namely :—

"Provided that those Nidhi companies which have adhered to all the provisions of the notification may undertake the business as insurance brokers, locker providers and to provide advisory services to members with the prior approval of the Regulatory authority subject to any other law in force in this regard :

Provided further that their gross income from mortgage and jewel loan shall not fall below 80 % of gross inconme at any point of time during a financial year;"

(ii) in sub-clause (d), in item (i), in the first proviso, for the table, the following shall be substituted, namely :—

TABLE

Ratio of Net Owned Fund to Deposits (as on 31-3-2001)	Date by which the company was required to achieve the prescribed ceiling of 1:20	Extended date by which the Company has to achieve the prescribed ceiling of 1:20
(a) More than 1:20 but up to 1:25	By 31-3-2004	By 31-03-2007
(b) More than 1:25 but up to 1:40	By 31-3-2005	By 31-03-2007
(c) More than 1:40 but up to 1:80	By 31-3-2006	By 31-03-2007
(d) More than 1:80 and above	By 31-3-2007	By 31-03-2007

(iii) in sub-clause (e), in item (C), the following explanation shall be inserted, namely :—

"*Explanation* :—introduction and documentary evidence of new depositors shall include all criteria applicable to 'know your customer norms' prescribed by Reserve Bank of India before accepting deposits by non-banking finance companies";

(iv) in sub-clause (g) after the words "a regional rural bank", the following words shall be inserted; namely :—

"or post office deposits in the name of the Nidhi company and not in the name of individuals";

(v) in sub-clause (h), in item (ii), for the words 'seven and half per cent' the words 'five per cent' shall be substituted ;

(vi) in the sub-clause (i),

(a) in item (i), for sub-item (A), the following shall be substituted, namely :—

"(A) have any person as director for a continuous period of more than ten years;

Explanation :—any break in continuous service as director of less than two years would be construed as holding office continuously :

Provided that where the tenure of any director was already extended by Regulatory Authority, it shall terminate on expiry of such extended tenure".

(b) in para (iii), in the proviso, after the words "interest thereon" the following words shall be inserted :—

"if the company has not made provision in accordance with the regulations including the time schedule and/or the company has not achieved the prescribed ratio of net owned fund to deposits."

(c) after item (vi), the following item shall be inserted, namely :—

"(vii) no person or firm appointed as statutory auditors of the company for a continuous period of five years, shall be reappointed as statutory auditor.

Explanation : Firm includes any partner of the same firm or any associate of the same firm either in that capacity or in any other individual capacity.";

[F. No. 4/6/2004-CL-VI]

Y. S. MALIK, Jt. Secy.

Foot Note : Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* Number G.S.R 555 (E) dated 26th July, 2001 and subsequently amended vide Number G.S.R. 308(E), Number G.S.R. 384(E), 408(E) and 775(E) dated 30-4-2002, 29-5-2002, 31-5-2002 and 29-9-2003 respectively.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2006

सा. का. नि. 203(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 637क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II खण्ड 3 उपखण्ड (i), तारीख 30 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित तत्कालीन विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 309(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के खण्ड (I) के उपखण्ड (ii) में,—

(i) स्पष्टीकरण (5) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा अर्थात् :—

"परन्तु यह कि 26-7-2001 को या उससे पूर्व निगमित निधि कम्पनियां या पारस्परिक फायदा सोसाइटियां, आय उत्क्रमण और गैर परिणामी आस्तियों के लिए 31-3-2002 को संवितरित और अधिशेष ऋणों के संबंध में, नीचे दी गई सारणी के अनुसार उपबन्ध करेंगी :—

सारणी

निम्नलिखित को समाप्त हुए वर्ष के लिये	उपबंध का विस्तार
31-03-2006	प्रकाशित लेखाओं के अनुसार पूर्व कर लाभ का 50%
31-03-2007	प्रकाशित लेखाओं के अनुसार पूर्व कर लाभ का 50%
31-03-2008	बाकि बची राशि का प्रावधान 4 वर्षों के दौरान समान आधार पर।
31-03-2009	
31-03-2010	
31-03-2011	

परन्तु यह और कि कोई निधि कम्पनी या पारस्परिक फायदा सोसाइटी उपरोक्त सीमाओं का विस्तार करने वाले उपबंध कर सकेगी :—

परन्तु यह भी कि 31-3-2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखाओं और पश्चात्वर्ती वर्षों के लेखाओं में, लेखाओं संबंधी टिप्पणों द्वारा वसूल न की गई शेष आय के उत्क्रमण और गैर निष्पादित आस्तियों तथा उस वर्ष में दी गई राशि और दी जाने वाली शेष राशि को स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाना चाहिए, जब तक कि गैर निष्पादित आस्तियों को दिए बिना मानी गई आय की सम्पूर्ण रकम और 31-03-2002 को गैर निष्पादित आस्तियों के लिए राशि देने के लिए शेष रहें :

परन्तु यह भी कि यह प्रमाणित करना कि टिप्पण में उसका सही और ऋजु रूप दिया गया है सांविधिक लेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा।"

[फा. सं० 4/6/2004-सीएल-VI]

वाई एस. मलिक, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 309(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् सं. सा.का.नि. 519(अ), तारीख 2 अगस्त, 2005 द्वारा उसमें संशोधन किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2006

G. S. R. 203(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 637A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the Notification of the Government of India, the erstwhile Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Company affairs) No. GSR 309(E), dated 30th April, 2002, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 30th April, 2002, namely :—

In the said notification, in clause (1); in sub-clause (ii)

(i) for the proviso to explanation (5), the following shall be substituted, namely :—

"Provided that the Nidhi companies or Mutual Benefit Societies incorporated on or before 26-7-2001 shall make provisions in respect of loans disbursed and outstanding as on 31-03-2002 for income reversal and Non Performing Assets as per table given below :

TABLE

For the Year Ended	Extent of Provision
31-03-2006	50% of pretax profit as per published accounts
31-03-2007	50% of pretax profit as per published accounts
31-03-2008	Un-provided Balance on an equal basis over the balance 4 years
31-03-2009	
31-03-2010	
31-03-2011	

Provided further that a Nidhi company or a Mutual Benefit Society may make the provisions exceeding the above limits :

Provided also that the accounts for the year ending on 31-03-2006 and the accounts for succeeding years should clearly indicate the total amount of provision to be made on account of income reversal and non performing assets remaining unrealised by notes on accounts and the amount provided in that year and the balance amount to be provided, till the entire amount of income recognized without providing for Non Performing Assets and the amount remain unprovided for Non Performing Assets as on 31-3-2002 :

Provided also that it shall be the duty of the Statutory Auditor to certify that the note exhibit true and fair view of the same";

[F. No. 4/6/2004-CL-VI]

Y. S. MALIK, Jt. Secy.

Foot Note : Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* No. GSR 309(E), dated,30th April, 2002 and subsequently amended *vide* No. GSR 519(E), dated 2nd August, 2005.

1009 9/06-2 Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.